[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i)में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या4/2021-सीमा शुल्क (सीवीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 24 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. (अ). जबकि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मलेशिया (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है), में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित "कॉइल के रूप में एल्यूमीनियम तार/कॉइल के रूप में वायर रॉड जिसका व्यास 9 मिमी से 13 मिमी तक होता है" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत माल से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51), (जिसे एतश्मिन पश्चात उक्त सीमा शुल्क अधिनियम से संदर्भित किया गया है), की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्ष 76011040, 76012040, 76041010, 76042920, 76051100 और 76052100 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में अधिसूचना संख्या 6/23/2020-डीजीटीआर, दिनांक 28 जून, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं किः-

i. विषयगत माल भारत को विषयगत देश से आर्थिक सहायता प्राप्त मूल्य पर निर्यात किया गया है, जिसके कारण यहां इन आर्थिक सहायता प्राप्त उत्पादों की भरमार हो गई है।

ii. विषयगत माल को आर्थिक सहायता मिलने के कारण यहां के घरेलू उद्योग को भारी क्षति हुई है ।

iii. यह भारी क्षति विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आर्थिक सहायता प्राप्त आयात के कारण हुई है ।

और उस पर निश्चयात्मक 'काउंटरवेलिंग ड्यूटी' लगाए जाने की सिफारिश की है, ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर किया जा सके ।

अतः, अब, सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडाइज्ड वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन, और उन पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 20 और 22 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (1) और (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, उक्त विषयगत वस्तु पर, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ मद के अंतर्गत आती है जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलतः उत्पादित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, और कॉलम (6) पर उस दर की काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाती है जो कि कॉलम (7)में विनिर्दिष्ट है, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	शीर्षक/उप शीर्षक/टैरिफ मद	माल का विवरण	मूलतः उत्पादनका देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्ककी राशि, सीआईएफ मूल्य के % के रूप में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	76011040, 76012040, 76041010, 76042920, 76051100 और 76052100	कॉइल के रूप में एल्यूमीनियम तार/कॉइल के रूप में वायर रॉड जिसका व्यास 9 मिमी से 13 मिमी तक	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई अन्य देश	प्रेस मेटल बिन्तुलू एसडीएऩ. बीएचडी.	6.8669%
2.	-तदैव-	-तदैव-	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई अन्य देश	प्रेस मेटल एल्यूमीनियम रॉड्स एसडीएऩ. बीएचडी.	6.8669%
3.	-तदैव-	-तदैव-	मलेशिया	मलेशिया से सहित कोई अन्य देश	उपरोक्त क्रम सं. 1 और 2 में उल्लिखित उत्पादकों के अलावा कोई भी उत्पाद	16.4874%
4.	-तदैव-	-तदैव-	मलेशिया से भिन्न कोई अन्य देश	मलेशिया	कोई भी	16.4874%

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाई गई काउंटर वेलिंग ड्यूटी इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है) तो लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

[फाइल संख्या सीबीआईसी-190354/185/2021-टीओ(टीआरयू-I)-सीबीईसी]

(ज. स. कंधारी)

उप सचिव, भारत सरकार